## CHAPTER - III REGISTRATION

## **Rule 8: Application for registration**

(1) Every person, other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51, a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) who is liable to be registered under subsection (1) of section 25 and every person seeking registration under subsection (3) of section 25 (hereafter in this Chapter referred to as "the applicant") shall, before applying for registration, declare his Permanent Account Number, <sup>1</sup>[\*\*\*\*] State or Union territory in **Part A** of **FORM GST REG-01** on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

2[\*\*\*\*\*]

<sup>3</sup>[**Provided**] that every person being an Input Service Distributor shall make a separate application for registration as such Input Service Distributor.

(2) (a) The Permanent Account Number shall be validated online by the common portal from the database maintained by the Central Board of Direct Taxes <sup>4</sup>[and shall also be verified through separate one-time passwords sent to the mobile number and e-mail address linked to the Permanent Account Number].

- (3) On successful verification of the Permanent Account Number, mobile number and e-mail address, a temporary reference number shall be generated and communicated to the applicant on the said mobile number and e-mail address.
- (4) Using the reference number generated under sub-rule (3), the applicant shall

Omitted the words "mobile number, e-mail address," by Noti. No. 26/2022-Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

<sup>2</sup> Proviso omitted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019. Earlier to omission it read as under:

<sup>&</sup>quot;Provided that a person having a unit(s) in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall make a separate application for registration as a business vertical distinct from his other units located outside the Special Economic Zone:"

<sup>3</sup> Subs. for "Provided further" by N. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

<sup>4</sup> Inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

<sup>5</sup> Clause (b) & (c) omitted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022. Earlier to omission it read as under,

<sup>&</sup>quot;**(b)** The mobile number declared under sub-rule (1) shall be verified through a one-time password sent to the said mobile number; and

<sup>(</sup>c) The e-mail address declared under sub-rule (1) shall be verified through a separate one-time password sent to the said e-mail address."

#### Central Goods & Services Tax Rules, 2017

electronically submit an application in **Part B** of **FORM GST REG-01**, duly signed or verified through electronic verification code, along with documents specified in the said Form at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

<sup>6</sup>[(4A) Every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, shall be followed by biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where

of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in **FORM GST REG-01** at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this sub rule."]

- **A** Sub-rule (4A) substituted by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020. Hence, earlier to substitution during 01-04-2020 to 25-12-2022 it read as under:
  - "B[(4A) Where an applicant, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub-rule (4), with effect from 21st August, 2020, undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number, or fifteen days from the submission of the application in Part B of FORM GST REG-01 under sub-rule (4), whichever is earlier.]"
  - **B** Earlier sub-rule (4A) Substituted by Noti. No. 62/2020–Central Tax, dt. 20-08-2020 w.e.f. 01-04-2020 before it was read as:
  - "C[(4A)The applicant shall, while submitting an application under sub-rule (4), with effect from 01.04.2020, undergo authentication of Aadhaar number for grant of registration.]"
    - C Inserted by Noti. No. 16/2020–Central Tax dt 23-03-2020.

<sup>6</sup> Sub-rule (4A) substituted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022. Earlier to substitution it read as under:

<sup>&</sup>lt;sup>A</sup>["(4A) Every application made under rule (4) shall be followed by-

<sup>(</sup>a) biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph, unless exempted under sub-section (6D) of section 25, if he has opted for authentication of Aadhaar number; or

**<sup>(</sup>b)** taking biometric information, photograph and verification of such other KYC documents, as notified, unless the applicant is exempted under sub-section (6D) of section 25, if he has opted not to get Aadhaar authentication done,

#### Central Goods & Services Tax Rules, 2017

the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in **FORM GST REG-01** at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this sub-rule.]

- <sup>7</sup>[(4B) The Central Government may, on the recommendations of the Council, by notification specify the States or Union territories wherein the provisions of sub-rule (4A) shall not apply.]
- (5) On receipt of an application under sub-rule (4) <sup>8</sup>[or sub-rule (4A)], an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in **FORM GST REG-02**.
- (6) A person applying for registration as a casual taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) shall be issued electronically only after the said deposit.

7 Inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

<sup>8</sup> Inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

# अध्याय 3 रजिस्ट्रीकरण

# नियम 8: रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(1) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्त्रोत पर कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बारह किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रिजस्ट्रीकृत चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है), रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी—01 के भाग क में अपना स्थायी लेखा संख्यांक,

1[.....], राज्य या संघ राज्यक्षेत्र घोषित करेगा :

<sup>2</sup>[.....]

<sup>3</sup>[परन्तु] कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई इनपुट सेवा वितरक है, ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक आवेदन करेगा।

(2) (क) स्थायी लेख संख्यांक को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस से सामान्य पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा <sup>4</sup>[और स्थायी खाता संख्या से जुड़े मोबाइल नंबर और ई—मेल पते पर भेजे गए पृथक वन—टाईम पासवर्ड के माध्यम से भी सत्यापित किया जाएगा]।

(ख) और (ग) <sup>5</sup>[.....]।

<sup>1</sup> अधिसूचना क्रमांक 26 / 2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा ''मोबाइल नंबर, ई—मेल पता'' विलोपित (दिनांक 26.12.2022 से प्रभावशील किया गया)।

<sup>2</sup> अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

<sup>&</sup>quot;परन्तु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाइयां रखने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसकी अन्य इकाईयों से भिन्न किसी कारबार शीर्ष के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा:"

<sup>3</sup> अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा "परंतु यह और" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

<sup>4</sup> अधिसूचना क्रमांक २६/२०२२-केन्द्रीय कर, दिनांक २६.१२.२०२२ द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक २६.१२.२०२२)।

<sup>5</sup> अधिसूचिना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा खंड (ख) और खंड (ग) विलोपित। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

<sup>&</sup>quot;(ख) उपनियम (1) के अधीन घोषित मोबाइल नम्बर को उक्त मोबाइल नम्बर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा; और

<sup>(</sup>ग) उपनियम (1) के अधीन घोषित ई—मेल पते को उक्त ई—मेल पते पर भेजे गए एक पृथक वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।"

#### केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (3) स्थायी लेखा संख्यांक, मोबाइल नम्बर और ई—मेल पते के सफलतापूर्वक सत्यापन पर एक अस्थायी निर्देश संख्यांक सृजित किया जाएगा और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नम्बर और ई—मेल पते पर संसूचित किया जाएगा।
- (4) आवेदक, उपनियम (3) के अधीन सृजित निर्देश संख्यांक का उपयोग करके इलैक्ट्रोनिक रूप से, प्ररूप जीएसटी आरईजी—01 के भाग ख में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, उक्त प्रारूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।
- <sup>6</sup>[(4क) धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा उपनियम 4 के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन के बाद, जिसने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है और जो कि सामान्य पोर्टल पर, डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, पहचाना जाता है, बायोमैट्रिक—आधारित आधार प्रमाणीकरण किया जायेगा और आवेदक की तस्वीर ली जायेगी, जहां आवेदक एक व्यक्ति है या जहां

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

 A["(4क)
 नियम (4) के अधीन दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के पश्चात्, आवेदक का जहां आवेदक कोई व्यक्ति है अथवा जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं वहां धारा 25 की उपधारा (6क) के अंतर्गत यथा—अधिस्चित आवेदक संबंध में आने वाले ऐसे व्यक्तियों का—

- (क) बायोमैट्रिक आधारित आधार सत्यपान और फोटोग्रफ लिया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने अपने आधार संख्या के अभिप्रमाणन का विकल्प दिया हो तो; या
- (ख) यथा—अधिसूचित बायोमैट्रिक सूचना, फोटोग्राफ लिया जाएगा और ऐसे अन्य केवाईसी कागजातों का सत्यापन किया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (६घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने आधार का अभिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है,"]

और साथ ही प्रारूप जीएसटी आरईजी—01 में दिए गए आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों का, इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त के द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र में, सत्यापन किया जाएगा और ऐसे आवेदन को तभी पूरा माना जाएगा जब इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

A इसके पहले अधिसूचना क्रमांक 94/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)

दिनांक 01.04.2020 से 21.12.2020 के मध्य यह इस प्रकार था :

"<sup>B</sup>[(4क) जहां कोई आवेदक, जो कि धारा 25 की उपधारा 6 (घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन करता है तो, उपनियम (4) के अंतर्गत आवेदन को भरते समय, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावित, उसकी आधार संख्या का अभिप्रमाणन किया जायेगा और उन मामलों में आवेदन को भरे जाने की तारिख, वह तारिख मानी जायेगी, जो उसकी आधार संख्या के अभिप्रमाणन की तारिख या उपनियम (4) के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी—01 के भाग ख में आवेदन के भरे जाने से 15 दिन की बाद की तारिख, दोनों में से जो पर्वोक्तर होगी।

B पहले अधिसूचना क्रमांक 62/2020—केन्द्रीयकर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा उपनियम (4क) प्रतिस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020) प्रतिस्थापन की पूर्व यह इस प्रकार था :

"C[(4A) आवेदक, उपनियम (4) के तहत आवेदन जमा करते समय, 01.04.2020 से, पंजीयन प्रदान करने के लिये आधार संख्या के अभिप्रमाणन से गुजरेगा]"

C अधिसूचना क्रमांक 16/2020—केन्द्रीयकर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा उपनियम (4क) अंतः स्थापित प्रभावशील दिनांक 01.04.2020।

<sup>6</sup> अधिसूचना क्रमांक २६/२०२२—केन्द्रीय कर, दिनांक २६.१२.२०२२ द्वारा उपनियम (४क) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक २६.१२.२०२२)।

### केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

आवेदक एक व्यक्ति नहीं है, आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की जो धारा 25 की उपधारा 6(ग) के अधीन अधिसूचित है, इस उपनियम के उद्देश्य के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से एक पर प्ररूप जीएसटी आरईजी—01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ, और इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन को पूर्ण समझा जायेगा।

- <sup>7</sup>[(4ख) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा उन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनमें उप–नियम (4क) लागू नहीं होंगे।]
- (5) उपनियम (4) <sup>8</sup>[या उप—नियम (4क)] के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी—02 में, इलैक्ट्रानिक रूप से, अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।
- (6) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी।

अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

<sup>8</sup> अधिसूचना क्रमांक 26/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।